आपदाग्रस्त बुन्देलखण्ड

सूखा, कर्ज और आत्महत्या से गुजरते परिवारों की पुकार ...

actionaid

जन पैरवी मंच

सहयोगी संस्थाएं
चिंगारी संगठन, बांदा
सहारिया जन अधिकार मंच, ललितपुर
समर्थ फाउन्डेशन, हमीरपुर
पहुंच विकास मंच, जालौन
प्रगति माध्यम समिति, चित्रकूट
अरूणोदय संस्थान, महोबा
बुन्देलखण्ड दलित अधिकार मंच, जालौन

सम्पादन सहयोग
खालिद चौधरी, राजन सिंह

संकलन एवं सम्पादन
अजय शर्मा, योगेश बन्धु आर्या

वित्तीय सहयोग
विद्याधाम समिति, बांदा
एक्शनएड, लखनऊ

सीमित वितरण हेतु
नवम्बर, 2014

प्राक्कथन

बुन्देलखण्ड के सभी जिले पिछले कई सालों से लगातार सूखे से प्रभावित रहे हैं। कभी अत्यन्त समृद्ध रहा यह इलाका आज देश के सबसे पिछ्डे क्षेत्रों में शुमार हो चुका है। सतही जल और भूजल में गिरावट की वजह से क्षेत्र के लगभग सभी तालाब, कुँए और बावडियाँ सूख चुके हैं। सूखे का प्रभाव चारों ओर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से भुखमरी, आत्महत्या, पलायन और यहाँ तक कि अपनी औरतों को गिरवी रखने जैसी शर्मनाक घटनायें सामने आई हैं।

सामाजिक आर्थिक विकास सूचकाँकों पर पहले से ही पिछडे इस क्षेत्र में सरकार द्वारा विभिन्न सामजिक कल्याण की नियमित योजनाओं की उपेक्षा कर सूखे और अन्य आपदा के लिये विशेष पैकेज घोषित किये जाते रहें हैं, जिनका लाभ वास्तविक प्रभावित लोंगों तक नहीं पहुँच पाया है। अतः इसके लिये बडे स्तर पर पहलकदमी की जरूरत है, जैसे कि कृषि व कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन, छोटे और सीमान्त किसानों के लिये विशेष योजना, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा आदि की आवश्यकता है। यह सभी कार्यक्रम एक दीर्घकालीन योजना के रूप में अपनाये जा सकते हैं, लेकिन अभी तात्कालिक आवश्यकता आपदा पीड़ित परिवारों को तत्काल राहत दिलाकर उन्हें पलायन और आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठाने से रोकने की है।

इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जन पैरवी मंच ने अपने बुन्देलखण्ड के साथी संगठनों के साथ वर्तमान सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का अध्ययन किया, जिसमें पारिवारिक विवरण, आजीविका के स्रोत एवं आय, परिवारों के कृषि की स्थिति, सिंचाई की स्थिति, आजीविका की हानि, कर्ज की स्थिति व क्षतिपूर्ति, पलायन, सामाजिक सेवाओं की वस्तुस्थिति का आंकलन आदि। किसान आत्महत्या की त्रासदी पर अन्य प्रदेशों द्वारा किये गये उपायों एवं उनके प्राविधानों को अध्ययन में शामिल किया गया, जिसमें आंध्र प्रदेश सरकार का शासनादेश उपयोगी रहा। उपरोक्त सामाजिक, आर्थिक अध्ययन एवं किसानों, जन–संगठनों, कार्यकर्ताओं से विचार–विर्मश के उपरान्त उत्तर प्रदेश सरकार को देने के लिए एक सुझाव–पत्र (नीति–प्रारूप) तैयार किया गया।

हमारा प्रयास है कि किसानों एवं कृषि पर गहराते संकट का समुचित समाधान किया जा सके। इसी उम्मीद के साथ....

– जन पैरवी मंच

विषय सूची

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1	अध्ययन के उद्देश्य	02
2	सर्वेक्षण विधि एवं प्रतिदर्श	02
3	पारिवारिक विवरण	03
4	आजीविका के स्रोत एवं आय	03
5	सर्वे किये गये परिवारों की कृषि की स्थिति	04
6	सिंचाई की स्थिति	04
7	आजीविका की हानि	05
8	नुकसान की क्षतिपूर्ति	06
9	कर्ज की स्थिति	07
10	पलायन	07
11	सामाजिक सेवाओं की दशा	08
12	निष्कर्ष	09
13	परिस्थिति आवश्यकताएँ	11
14	आंध्र प्रदेश सरकार का शासनादेश	13
15	बुन्देलखण्ड के संदर्भ में किसानों और नागरिक समाज संगठनों की सरकार से मांग	14

आपदाग्रस्त बुन्देलखण्ड

सूखा, कर्ज और आत्महत्या से गुजरते परिवारों की पुकार ...

बुन्देलखण्ड के सभी जिले 2004 से 2007 के बीच सूखे से प्रभावित रहे हैं। 2009 के सूखे ने पुनः इन जिलों को प्रभावित किया। दुर्भाग्य से कभी अत्यन्त समृद्ध यह इलाका आज देश के सबसे पिछडे क्षेत्रों में शुमार हो चुका है। सतही जल और भूजल में गिरावट की वजह से क्षेत्र के लगभग 70 प्रतिशत तालाब, कुऐं और बावड़ियाँ आदि सभी सूख चुके हैं। सूखे का प्रभाव चारों ओर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से भुखमरी, आत्महत्या, पलायन और यहाँ तक कि अपनी औरतों को गिरवी रखने जैसी शर्मनाक घटनायें सामने आई हैं।

पानी की लगातार कमी और खेती में लगातार नुकसान से बुन्देलखण्ड में आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। इस अनिश्चितता को और बढाते हुये 2011 और 2013 में हुई भारी बारिश की वजह से किसानों के खेतों में पानी भर गया और कई किसानों की खड़ी फसलों को नुकसान हुआ। इस तरह सूखे से पीड़ित बुन्देलखण्ड में अचानक और भारी बारिश ने राहत की जगह इस दुर्दशा को और बढ़ा दिया। सूखे की लगातार विभीषिका से जूझ रहे बुन्देलखण्ड को राहत देने के लिये 2009 में "बुन्देलखण्ड राहत पैकेज" की घोषणा की गई। जिसमें कुल 7266 करोड़ में से 3506 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश को आवंटित किये गये। इसको तीन वर्षों से अमल में लाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत जल संसाधनों के विकास, आजीविका को बढ़ावा देने के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों के विकास के प्रावधान किये गये हैं। इसमें सर्वाधिक प्राथमिकता जल प्रबंधन, नई सिंचाई परियोजनाओं और पुरानी सिंचाई परियोजनाओं के संरक्षण पर दिया गया है। यह सभी कार्य मार्च 2012 तक सम्पन्न कर लिये जाने थे, लेकिन हालात की गम्भीरता को देखते हुये इसे 2017 तक विस्तारित कर दिया गया। दुर्भाग्य से सरकार और जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता की वजह से "बुन्देलखण्ड राहत पैकेज" केवल 43.89 प्रतिशत ही इस्तेमाल किया जा सका और इस बदहाल स्थिति के बावजूद बुन्देलखण्ड में आज भी सरकारी विभाग, सेवा प्रदाता, वित्तीय संस्थान, पंचायतीराज संस्थायें एवं सम्बन्धित विभाग संतोषजनक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं।

लगातार सूखा, अनिश्चित बारिश, फसलों के लगातार नुकसान, सिंचाई सुविधा का अभाव, खेती और दूसरे कार्यों के लिये, लिये गये कर्ज, सामाजिक स्थिति का पतन और परिवार के भविष्य की चिन्ता ने किसानों को आत्महत्या के लिये मजबूर कर दिया है। वास्तव में इस स्थिति के लिये अनेक दीर्घकालीन समस्याओं के साथ समय–समय पर पडने वाले सूखे और अनिश्चित वर्षा ने बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास को बुरी तरह से प्रभावित किया है। क्षेत्र के अधिकांश किसान, खेतिहर और मजदूर स्थिति में सुधार न होने के कारण लगातार कर्जदार होते चले गये, जिसके कारण उनके लिये इस गरीबी के दुष्चक्र से बाहर आना मुश्किल हो गया है। इन परिस्थितियों में केवल सूखे से बचने की कार्य योजनायें क्षेत्र की समस्याओं का हल नहीं हैं। इनके लिए अनेक दीर्घकालीन चक्रीय कारण दोषी हैं, जिसके लिये हमें बुन्देलखण्ड की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और साँस्कृतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाने की आवश्यकता है।

अध्ययन के उद्देश्य:

जन पैरवी मंच ने बुन्देलखण्ड की वर्तमान सामाजिक और आर्थिक स्थितियों पर विचार के लिये एक बैठक का आयोजन किया। जिसमें बुन्देलखण्ड की लगातार बिगड़ती हालत पर चिन्ता व्यक्त की गई। फसलों की बर्बादी, पशुओं की मृत्यु, कर्जदारी और पलायन के बीच जीवन संघर्ष कर रहे किसानों के हालात बहुत बदतर हो चुके हैं। हालातों से न जूझ पाने की स्थिति में उनके पास आत्महत्या के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। इन परिस्थितियों के मद्देनज़र साथियों ने निर्णय लिया कि वर्तमान परिस्थितियों के वास्तविक आंकलन के लिये एक अध्ययन की आवश्यकता है, जिससे क्षेत्र के विकास के लिये कुछ मूलभूत कदम उठाये जा सकें। अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं :

1. अनिश्चित वर्षा का क्षेत्र के लोगों और उनकी आजीविका पर प्रभाव का अध्ययन करना,
2. प्रभावित लोगों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना,
3. खेती और फसलों पर प्रभाव का आकलन करना,
4. प्रभावित लोगों पर कर्ज और उसकी गहनता का आकलन करना,
5. पलायन का अध्ययन करना,
6. वर्तमान परिस्थितियों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभों की वास्तविक स्थितियों का अध्ययन करना,
7. अनिश्चित वर्षा व सूखा से प्रभावित लोगों के प्रति सरकारी प्रतिक्रिया का आकलन, तथा
8. प्रभावित लोगों की आवश्यकताओं का आंकलन करना।

सर्वेक्षण विधि एवं प्रतिदर्श:

वर्तमान स्थिति के विवरण और नुकसान के आंकलन के लिये उक्त सर्वेक्षण बुन्देलखण्ड के सभी सात जिलों में किया गया। जिसके लिये एक पूर्व निर्धारित प्रतिदर्श प्रपत्र पर रैण्ड्म सर्वेक्षण विधि का प्रयोग करके प्रतिदर्श एकत्रित किये गये। इसके लिये सातों जनपदों के सभी विकास खण्डो के कम से कम पाँच गावों से, प्रत्येक गाँव में से पाँच परिवारों की स्थितियों का निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से सर्वेक्षण किया गया। प्रत्येक विकास खण्डो से सर्वेक्षण में शामिल गाँवों की सूची अनुच्छेद –1 में दी गई है। प्रतिदर्श एकत्रित करने में इस बात का ध्यान रखा गया कि सभी गावों से सभी प्रकार की सामाजिक आर्थिक स्थितियों वाले परिवारों का प्रतिनिधित्व आवश्यक रूप से हो जाये। इनके अतिरिक्त चित्रकूट और बाँदा जिलों में ऐसे ग्राम पंचायतें को प्राथमिकता दी गई, जहाँ पर जन पैरवी मंच का कोई न कोई सदस्य संगठन कार्य कर रहा था। इसके दो लाभ थे, प्रथम यह जिले आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित जिले थे, जिससे आपदा पीडितो की स्थिति का सही आकलन किया जा सकता था और दूसरे ऐसे ग्राम पंचायतों में पूर्व उपस्थिति के कारण प्रतिदर्श संकलन आसानी से किया जा सकता था।

इस प्रकार, यह सर्वे मई और जून, 2014 में सम्पन्न किये गये। जिसमें विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठाभूमि के कुल 638 परिवारों का विवरण संकलित किया गया। इनमें से सबसे ज्यादा 147 प्रतिदर्श (23) महोबा जिले से तथा सबसे कम 50 प्रतिदर्श (7.8) चित्रकूट जिले से लिये

गये। विभिन्न जिलों से प्रतिदर्शों में अन्तर का प्रमुख कारण विकास खण्ड की सँख्या में अन्तर और प्रभावित परिवारों की संख्या में अन्तर की वजह से है।

कुल 636 परिवारों में से 317 परिवार (49.8) अनुसूचित जाति, 231 परिवार (36.3) अन्य पिछडा वर्ग, 72 परिवार (11.3) सामान्य वर्ग और शेष 16 परिवार (2.5) अनुसूचित जनजाति के थे। अनुसूचित जनजाति के परिवार ललितपुर जिले में तथा अन्य जिलों में सभी सामाजिक आर्थिक वर्ग के परिवार शामिल थे।

पारिवारिक विवरण:

जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अधिकांश परिवारों में 6 या अधिक सदस्य होते हैं, लगभग 20 प्रतिशत परिवार 5 सदस्यों और अन्य 25 प्रतिशत परिवार 6 से 8 सदस्य वाले हैं, इनके अतिरिक्त लगभग 6.6 प्रतिशत परिवार नौ या अधिक सदस्य वाले हैं। बुन्देलखण्ड में यह औसत सामान्य उत्तर प्रदेश से थोड़ा ज्यादा है, जो प्रति व्यक्ति आय कम होने का भी एक कारण है।

सर्वेक्षण परिणामों के अनुसार औसत परिवारों का आकार 8 व्यक्ति प्रति परिवार से ज्यादा है। झाँसी, बाँदा और ललितपुर जिलों में यह औसत सात व्यक्ति प्रति परिवार, महोबा, हमीर और चित्रकूट में आठ व्यक्ति प्रति परिवार तथा जालौन में दस व्यक्ति प्रति परिवार से भी अधिक है। दुर्भाग्य से बुन्देल्खण्ड में जालौन मानव विकास और दूसरे वृद्धि सूचकांको में सबसे नीचे आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में है।

आजीविका के स्रोत एवं आय :

बुन्देलखण्ड में कृषि ही आजीविका का प्रमुख स्रोत है और क्षेत्र के अधिकांश किसान लघु और सीमान्त किसान हैं, जिनके पास औसतन 2 हेक्टेयर से कम जोत है। बुन्देलखण्ड के अधिकांश क्षेत्रों में पानी और अन्य संसाधनों के अभाव में एकल फसल ही उगाई जाती है तथा अधिकांश किसान रबी की फसल ही बोते हैं। खेती आय का प्रमुख स्रोत होने के बावजूद 20 प्रतिशत से भी कम किसान खरीफ की फसल बोते हैं, क्योकि खरीफ की फसल पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर है और पूरे क्षेत्र में सिंचाई के वैकल्पिक साधनों के अभाव के कारण कुल कृषि योग्य भूमि का 60 प्रतिशत से भी अधिक भाग असिंचित है।

कृषि की कम उत्पादकता की वजह से किसानों की आर्थिक स्थिति भी कमजोर है, कृषि के क्षेत्र में फसल पद्धति और अन्य होने वाले अनेक परिवर्तनों जैसे कि स्थानीय बीजों के स्थान पर हाईब्रिड बीजों का प्रयोग, मेन्था जैसी क्षेत्र के लिये गैर उपयुक्त फसलों का उत्पादन आदि प्रवृत्तियों ने किसानों की लागत को तो बढा दिया, लेकिन उनकी आय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जिससे उनकी स्थिति और भी दयनीय हो गई है। सर्वे किये गये कुल 636 परिवारों में से 96 प्रतिशत परिवार खेती पर निर्भर थे और शेष परिवार आजीविका के किसी अन्य स्रोत के अभाव में पूरी तरह से मजदूरी पर निर्भर थे। केवल एक प्रतिशत परिवार पूरी तरह से नौकरी से आय पर निर्भर थे।

इन परिवारों की सभी स्रोतों से आय बहुत कम, केवल 43,305/– रुपये वार्षिक थी। यद्यपि

परिवार के औसत आकार को ध्यान में रखते हुये ये प्रति व्यक्ति आय केवल 5413/– रुपये ही है, जो कि अत्यन्त कम है। इसके अनुसार जालौन जैसे जिलों में प्रति व्यक्ति प्रतिमाह आय 500/– रुपये से भी कम है, निश्चित रूप से इसमें जीवन निर्वाह सम्भव नहीं है।

सर्वे किये गये परिवारों की कृषि की स्थिति

पर्याप्त निवेश के अभाव में बुन्देलखण्ड में खेती पूरी तरह विविधतापूर्ण और वर्षा पर निर्भर है, जिसकी वजह से हमेशा नुकसान का खतरा बना रहता है। इसके अतिरिक्त कभी सूखा तो कभी अल्पकालीन तेज बारिश की वजह से जलभराव किसान की मुसीबत को बढ़ाते रहते हैं। बड़े आकार के खेतों में उत्पादन में मितव्ययिताओं की वजह से किसानों को लाभ होता है, लेकिन बुन्देलखण्ड में इन कमियों की वजह से किसानों को बड़े आकार का लाभ नहीं मिल पाता। सर्वे में शामिल अधिकांश किसानों के पास सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। इनमें बडे किसानों की अपेक्षा छोटे किसानो की दशा ज्यादा बदतर थी। सर्वे में शामिल 90 प्रतिशत असिंचित जमीन 5 एकड़ से कम आकार की थी।

यहाँ जानना जरूरी है कि बुन्देलखण्ड में जोतों का आकार उत्तर प्रदेश के औसत से ज्यादा है। लेकिन कम उत्पादकता, एकल फसल और नीची फसल सघनता के कारण उत्तर प्रदेश के अन्य भागों की तुलना में यहाँ जोतें कम लाभकारी हैं। सर्वे किये गये कुल 636 परिवारों में से 24 प्रतिशत के पास 1 से 2 एकड़ की जोतें, 40 प्रतिशत के पास 2 से 5 एकड़ तक की जोतें थी तथा 20 प्रतिशत सीमान्त किसान थे जिनके पास 1 एकड से भी कम भूमि थी। बुन्देलखण्ड की भौगोलिक दशा के अनुसार इनमें से 84 प्रतिशत कृषि जोतें अलाभकारी थीं। सर्वे किये परिवार के पास उपलब्ध जोतों का विवरण नीचे चित्र में दिया हुआ है। जिससे पता चलता है कि सिंचाई के साधनों के अभाव में किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। जोतों के आकार के अलावा, उत्पादन का स्वरूप सिंचाई के साधनों, मानसून और कृषि में निवेश पर निर्भर करता है। खेतों के आकार के अलावा सिंचाई के साधन कृषि उत्पादकता एवं लाभ में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जिससे एक से अधिक फसल लेनें में सुविधा और मानसून की अनिश्चितता कम होती है। दुर्भाग्य से बुन्देलखण्ड में सभी स्रोतो से कुल सिंचित क्षेत्र 42 प्रतिशत ही है।

सिंचाई की स्थिति :

सर्वे के अनुसार बुन्देलखण्ड में जोतों का औसत आकार राज्य के सामान्य औसत से अधिक है। सिंचाई की दृष्टि से यहाँ खरीफ (मानसून) की फसल लेना आसान होता है, लेकिन क्षेत्र के ज्यादातर किसान, विशेषकर छोटे और सीमान्त किसान रबी में अपनी फसल बोते हैं। ऐसा एक तो विपरीत मौसम की दृष्टि से किया जाता है। दूसरा, यह प्रवत्ति इस बात का भी संकेत है कि बड़े किसान भी अपने साधनों से खेतों की सिंचाई करके जोखिम उठाने की स्थिति में नहीं हैं। यद्यपि छोटे और सीमान्त किसान विपरीत मौसम में भी फसल लगाने को बाध्य होते हैं, क्योकि उनके पास आजीविका के लिये और कोई विकल्प नहीं है, जबकि असिंचित जोतों में उनका हिस्सा ज्यादा बड़ा है। इस प्रवृत्ति की वजह से सीमान्त और छोटे किसानों की स्थिति ज्यादा दयनीय होती जा रही है।

पिछले दो वर्षों में अत्यधिक वर्षा और छः–सात वर्षों के सूखे ने बुन्देलखण्ड के आम लोगों के खेती पर निर्भरता को कम करके उनके विश्वास को तोड़ दिया है, जिससे खेती एक अनिश्चित व्यवसाय बनकर रह गई है, जो किसी को भी सम्मानजनक जीवन प्रदान करने में असमर्थ हो चुका है। हाल ही में 2011 और 2013 में पूरे क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा हुई, जो बुन्देलखण्ड की प्रकृति के विपरीत थी।

अचानक हुई इस वर्षा ने अपने खेत–खलिहान, पशुओं और आजीविका से पहले ही हाथ धो चुके किसानों को बर्बादी के कगार पर पहुँचा दिया। जिससे इन किसानों को अपनी बची–खुची सम्पत्तियों से हाथ धोना पड़ा। अब इन किसानों के पास बीज, खाद और दूसरे आनाज खरीदने के लिये भी पैसे नहीं हैं, जिससे कि वह और खतरा मोल ले सकें, लेकिन आजीविका की मजबूरी में वह इस दुष्चक्र के दलदल में फंसने को मजबूर हैं, जिससे मजबूरी में कर्ज लेकर खेती में किया गया निवेश भी डूबता जा रहा है।

आजीविका की हानि :

जलवायु में यह परिवर्तन पिछले लगभग दस वर्षों से देखने को मिल रहा है। 2003–04 के बाद से पिछले आठ वर्षों में मानसून 52 दिनों से घटकर 24 दिनों तक सिमट गया। 2011 और 2013 में अचानक हुई तेज बारिश ने इसमें कोई राहत देने की जगह किसानों का नुकसान ही किया। तीन–चार दिन लगातार तेज बारिश से सभी खेत खलिहानों में पानी भर गया और जिन किसानों ने फसल बोई थी अथवा बोने की तैयारी कर ली थी, उन्हे भारी नुकसान उठाना पड़ा।

झाँसी और ललितपुर को छोड़कर बुन्देलखण्ड में बोया गया क्षेत्र कुल क्षेत्र के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होता, लेकिन हर बार फसल बर्बाद होने के बाद भी सीमान्त और छोटे किसान विपरीत परिस्थितियों के बाद भी पलायन के अलावा दूसरा विकल्प न होने के कारण फसल बोते हैं। जिसकी वजह से विपरीत मौसम में इन्हें सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पडता है। सर्वे से प्राप्त आँकडो से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। बेमेल मौसम और बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले किसानों में से 50 प्रतिशत के पास 2 एकड़ से कम जमीन थी। जबकि 34 प्रतिशत के पास 2 से 5 एकड़ भूमि थी, केवल 6 प्रतिशत परिवार ऐसे थे, जिनके पास 10 एकड़ से अधिक कृषि योग्य भूमि थी।

इस प्रकार सीमान्त और छोटे किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हुये हैं। इनमें से कुल 636 परिवारों में से 510 (80) परिवारों को रबी और 492 (77) परिवारों को खरीफ के मौसम में हानि उठानी पड़ी। इनमें से कुछ को फसल लगाने के बाद बारिश से नुकसान हुआ, तो कुछ को बेमौसम तेज बारिश और परिणाम स्वरूप खेतों में पानी भर जाने और फसल न लगा पाने की वजह से नुकसान हुआ। इस प्रकार पहले से ही कम उत्पादकता, एकल फसल और सूखे की वजह से परेशान किसानों के सामने दुरूह स्थिति उत्पन्न हो गई।

खराब मौसम को देखते हुए बड़े किसान तो अपने खेतों के कुछ हिस्से में ही फसल लगाते हैं, लेकिन छोटे किसानों के पास फसल लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। जिसकी वजह से विपरीत मौसम से प्रभावित होने वाले किसानों मे 29 प्रतिशत सीमान्त किसान, 31 प्रतिशत छोटे किसान और 31 प्रतिशत मध्यम श्रेणी के किसान थे। कुल सर्वे किये गये परिवारों में

प्रभावित होने वाले केवल 13 प्रतिशत बड़े किसान थे, जिनके पास 5 एकड़ या उससे अधिक भूमि थी।

फसल की बर्बादी इसलिये भी ज्यादा हुई, क्योंकि बारिश के समय तक ज्यादातर किसानो की फसल को लगाये एक महीने से ज्यादा हो चुका था। जिसकी वजह से इन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। लगभग 10 प्रतिशत किसानों को 1 लाख रुपये से भी अधिक की हानि उठानी पड़ी। 28 प्रतिशत कृषक परिवारों को 20 से 50 हजार रुपये तक का नुकसान हुआ और लगभग 46 प्रतिशत किसानों को 20 हजार रुपये तक की क्षति उठानी पड़ी। बुन्देलखण्ड की बदहाली और कर्जे की स्थिति को देखते हुए किसानों के लिये ये नुकसान बहुत बड़ा है।

नुकसान की क्षतिपूर्ति :

पहले से ही कर्जदार इन किसानो के पास इस क्षति से भरपाई के लिये सरकारी मदद के अलावा और कोई दूसरा स्रोत नहीं है। लेकिन सरकार की उपेक्षा ने इनकी मुसीबतों को और बढ़ा दिया। इससे पूर्व सूखे के समय सरकार ने कुछ किसानों को पुराने भूलेख पर आधारित थोड़ा मुआवजा दिया था। लेकिन यह जमीनें परिवार में बँटवारे के कारण कई लोगो के बीच बँट चुकी हैं, उसमें भी कुछ परिवार बदहाली के कारण गाँव छोडकर जा चुके हैं और कुछ भूस्वामियों की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में वास्तविक हितग्राहियों की पहचान और क्षतिपूर्ति का बँटवारा अपने आप में बड़ी समस्या है। उस पर भी सरकार की तरफ से प्रभावित परिवारों के राहत के लिये कोई रूचि नहीं दिखाई गयी और अत्यधिक बारिश और ओलावष्टि को सामान्य घटना मानकर सरकारी विभागों ने उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया। कुल 636 प्रभावित परिवारों में केवल 19 परिवार (3) ऐसे थे, जिन्हें किसी प्रकार की सरकारी सहायता प्राप्त हुई। इनमें से केवल 4 परिवारों (0.63) को 2000 रुपये से ज्यादा की सहायता मिली, 6 परिवारों को एक से दो हजार रुपये तथा 9 परिवारों को एक हजार रुपये से भी कम सहायता राशि, उनके फसलों की हनि और जानवरों की मृत्यु के लिये दी गई।

कुल प्रभावित परिवारों की बड़ी तादाद के बावजूद कुछ ही स्थानों पर लेखपाल ने स्वयँ प्रभावित स्थल पर जाकर नुकसान का आकलन किया। इसी बात से सरकार की घटना के प्रति गम्भीरता का पता चलता है। सरकारी विभाग द्वारा उपेक्षा इस बात से भी पता चलती है कि केवल एक तिहाई परिवारों (207) को ही इस आपदा से प्रभावित माना गया। ग्रामीणों के अनुसार क्षति का आकलन भी आधा–अधूरा और भेदभाव भरा था। इसमें से केवल 16 प्रतिशत (98 परिवार) पीड़ितों का प्रभावित स्थल पर मुआयना किया गया। शेष 17 प्रतिशत मामलों में लेखपाल ने या तो अपनी मर्जी से (12 प्रतिशत) अथवा ग्राम सभा की बैठक में (5 प्रतिशत) स्वयँ ही निर्धारण कर लिया। जिसके फलस्वरूप बड़ी मात्रा में प्रभावित परिवारों को किसी भी प्रकार की सहायता की आशा की किरण नहीं दिखती।

इस प्रकार सूखे से पीड़ित बुन्देलखण्ड में अचानक हुई इस बारिश ने राहत पहुँचाने के स्थान पर पहले से बर्बाद और अपने पशुधन समेत आजीविका के सभी स्रोतों को खो चुके किसानों और ग्रामीणों की स्थिति को और भी ज्यादा खराब कर दिया।

कर्ज की स्थिति :

बुन्देलखण्ड में विभिन्न ग्राम पंचायतों में 70 प्रतिशत से लेकर शत–प्रतिशत तक परिवार रोजमर्रा की जरूरतों, बढ़ती महँगाई, कृषि कीमतों में वृद्धि तथा समर्थन मूल्यों में लागत के अनुपात में वृद्धि न होने के कारण किसान लगातार कर्ज के जाल में फँसते चले जा रहें हैं। बाँदा, जालौन, हमीरपुर, ललितपुर और झाँसी जिलों में किसानों पर कुल 3420 करोड़ रुपये का कर्ज है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने केवल उन्हीं किसानों के कर्ज माफ किये हैं, जिनके पास पाँच एकड़ से ज्यादा की जोत हैं। इस प्रकार सरकार द्वारा कर्जमाफी की योजना में बुन्देलखण्ड के सभी जिलों का नाम होने के बावजूद वास्तविक जरूरतमन्दों को इसका लाभ नहीं मिला है। इसके अलावा सभी जिलों में बड़े स्तर पर सुविधाजनक होने के कारण किसान परम्परागत स्रोतों से ही ऋण प्राप्त करते हैं। बुन्देलखण्ड में खेती आय का प्रमुख साधन है और कई वर्षों से निर्वाह योग्य खेती भी न हो पाने के कारण, किसानों के पास निवेश योग्य आवश्यक धनराशि का भी अभाव है। जिसके कारण 80 प्रतिशत से भी अधिक परिवार कर्ज के जाल में डूबे हैं। सर्वे के अनुसार भी 636 में से 513 (80.53) परिवारों पर सार्वजनिक अथवा निजी, पारम्परिक स्रोतो से कर्ज था। (देखें अनुच्छेद–1 द)

सर्वे में यह पाया गया कि छोटे कर्ज के लिये किसानों और ग्रामीण परिवारों की पसन्द कर्ज के परम्परागत स्रोत हैं, जबकि बड़ी रकम के लिये बैंक व अन्य संस्थागत स्रोतों को प्रमुखता दी जाती है। सर्वे में 636 परिवारों में 79 प्रतिशत परिवारों पर गैर–संस्थागत स्रोतों से औसतन गैर 50000 प्रति परिवार कर्ज पाया गया। 636 में से लगभग 40 प्रतिशत परिवारों पर औसतन 50000 रुपये प्रति परिवार संस्थागत स्रोतों से कर्ज था। कुल 636 परिवारों में से 394 (59) परिवारों पर संस्थागत स्रोतों जैसे कि बैंक, किसान क्रेडिट कार्ड, कोआपरेटिव सोसायटी आदि से औसतन 93,771 रुपये का कर्ज था। 268 परिवारों (40) पर औसतन प्रति परिवार 44,899 रुपये का गैर–संस्थागत स्रोतों जैसे कि महाजन, साहूकार, आढ़तिया आदि का कर्ज था।

पलायन :

फसलों की लगातार असफलता, बारिश की अनिश्चितता, सिंचाई व्यवस्था का अभाव और बढ़ते कर्ज के बोझ की वजह से किसानो के पास दो ही विकल्प बचते हैं या तो वे अपनी सामाजिक स्थिति को सम्मानजनक बनाये रखने के लिये आत्महत्या करें अथवा रोजगार की तलाश में पलायन कर जायें। क्योंकि कृषि की वर्तमान दशाओं में बुन्देलखण्ड में किसानों के लिये खेती करना मुश्किल होता जा रहा है, जिसकी वजह से क्षेत्र में आत्महत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं।

इस दुरूह स्थिति से बचने के लिये जीवन और रोजगार की तलाश में पलायन बुन्देलखण्ड के परिवारों की पहचान बन गई है। अलग अलग गाँवों में वहाँ की सामाजिक आर्थिक दशाओं के अनुसार इसमें भिन्नता भी देखने को मिलती है, जो पानी की उपलब्धता, कृषि जोत की दशाओं, कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार की उपलब्धता आदि पर निर्भर करती है। पूरे बुन्देलखण्ड के ग्रामीण इलाकों में औसतन 50 से 70 प्रतिशत तक परिवारों में स्थायी अथवा अस्थायी पलायन की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। सर्वे में भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। सर्वे के अनुसार कुल 636 परिवारों में से 324 (51) परिवारों ने पलायन को अपनी आजीविका का वैकल्पिक स्रोत बताया है।

इनमे से अधिकांश परिवारों के पलायन की वजह बार–बार आने वाली प्राकृतिक आपदायें हैं। एकल पुरूष वाले परिवारों में हर पाँचवे परिवार की आजीविका का स्रोत पलायन के दौरान होने वाली आय है। इनमें से 30 प्रतिशत परिवार महिलाओं सहित पलायन करने वाले परिवार थे। यह भी देखने में आया कि बडे आकार वाले परिवारों में महिलाओं सहित पलायन की प्रवृत्ति कम थी। छोटे परिवारों में महिलाओं सहित पलायन की एक बड़ी वजह महिला सदस्यों और बच्चों की देखभाल की समस्या है। दूसरे महिला सहित पलायन करने पर उन्हे भी कुछ काम उपलब्ध हो जाता है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है।

पलायन करने वाले परिवारों में पलायन के स्थान को लेकर अनेक भिन्नतायें देखने को मिलती हैं। केवल 5 प्रतिशत परिवार ऐसे थे, जो उसी जिले में जिला मुख्यालय जाकर काम ढूंढते थे। ऐसे ज्यादातर परिवार बहुत थोड़े समय के लिये पलायन करने वाले थे। इसकी एक वजह यह तथ्य भी है कि कृषि की बुन्देलखण्ड की अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका है और ग्रामीण स्तर पर इसकी विफलता शहरी अर्थव्यवस्था को विफल करती है, ऐसे में उन्ही जिलों में मुखालय पर पलायन आजीविका के अच्छे विकल्प नहीं प्रदान कर सकता। ज्यादातर परिवार पलायन कर रोजगार की तलाश में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और मध्यप्रदेश के लिये जाते हैं। 11.27 प्रतिशत परिवारों ने बुन्देलखण्ड के ही झाँसी जैसे तुलनात्मक रूप से कम पिछडे जिलों में पलायन को अपनी पसंद बताया।

बी०पी०एल० सर्वे के अनुसार स्थायी और दीर्घकालीन पलायन के अलावा क्षेत्र की 30 से 50 प्रतिशत कामगार, प्रतिवर्ष काम की तलाश में नियमित रूप से पलायन करते हैं। सर्वे में भी इस बात की पुष्टि हुई है कि मौसमी रोजगार की अपेक्षा अल्पकालीन रोजगार के लिये पलायन की प्रवृत्ति ज्यादा है।

पलायन करने वाले व्यक्तियों, परिवारों के पलायन की अवधि इस बात पर निर्भर करती है कि उक्त स्थान पर रोजगार के अवसर, रोजगार की दशायें, आजीविका के अन्य साधन, रहन–सहन की दशायें कैसी हैं। यद्यपि पलायन करने वाले परिवारों को पलायन के दौरान अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सर्वे में पाया गया कि कुल 51 प्रतिशत पलायन करने वाले परिवारों में 18.16 प्रतिशत परिवार 3 से 6 महीने के लिये पलायन कर रहे थे, इसके बाद सबसे ज्यादा 10.12 प्रतिशत परिवार 9 महीने से लेकर पूरे वर्ष के लिये पलायन करने वाले थे। यह तथ्य इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ग्रामीण आबादी का एक बड़ा तबका अपनी आजीविका के लिये अपना जीवन निर्वहन गाँव से बाहर कर रहा है। जो न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था, बल्कि सामाजिक ताने–बाने को भी प्रभावित कर रहा है।

सामाजिक सेवाओं की दशा :

यद्यपि बुन्देलखण्ड में गरीबी अनेक सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का परिणाम है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। उस पर दुर्भाग्य यह है कि विभिन्न सामाजिक कल्याण से सबन्धित योजनाएं, जो ऐसी दशा में राहत दिला सकती हैं, उनकी हालत और भी बुरी है। केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में 10 विभिन्न सामाजिक सुरक्षा, गरीबी निवारण और खाद्य सुरक्षा से सम्बन्धित योजनाओं के निषपादन के आंकलन में यह पाया गया कि

बुन्देलखण्ड के 65 प्रतिशत से भी अधिक दलित परिवारों के पास बी०पी०एल० अथवा अन्त्योदय कार्ड भी नहीं है, जिससे कि वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुविधा का प्राप्त कर सकें।

सर्वे में भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बन्धित अनेक कमियों की पुष्टि हुई तथा केवल 85 प्रतिशत परिवारों के पास ही राशन कार्ड पाये गये। इसमें भी 636 में से 348 परिवारों (63) के पास गरीबी रेखा से ऊपर के कार्ड थे, तथा केवल 133 परिवारों (24) के पास बी०पी०एल० और 70 परिवारों (13) के पास अन्त्योदय कार्ड थे। इसके अलावा कार्ड धार्क होना ही खाद्य सुरक्षा की गारण्टी नहीं है, क्योकि एक तिहाई से भी अधिक परिवारों ने सर्वे में बताया कि उन्हे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से पर्याप्त तथा समय पर राशन नहीं मिलता।

यही दशा मनरेगा की भी देखने को मिली। 636 परिवारों में से 309 (46) परिवारों ने बताया कि उनके पास जॉब कार्ड तक नहीं है। 70 प्रतिशत कार्य योग्य व्यक्तियों ने बताया कि उन्हे कभी भी मनरेगा के अन्तर्गत काम करने का मौका नहीं मिला। केवल 25 प्रतिशत परिवार ऐसे थे जिन्हे मनरेगा में काम मिला था लेकिन वह भी एक महीने से कम समय का। इससे यह पता चलता है कि मनरेगा जैसे सरकारी कार्यक्रम जिनसे आपदा एवं अन्य प्राकृतिक समस्याओं के समय ग्रामीण परिवारों को कुछ मदद मिल सकती है, सरकारी उपेक्षा के कारण वह भी निष्प्रभावी हो रहें हैं।

यही हाल अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं का भी है। जैसे कि सर्वे के अनुसार 60 प्रतिशत से भी अधिक बच्चों को समेकित बाल विकास योजना का लाभ नहीं मिल रहा था। 6 से 14 वर्ष आयु के 31 प्रतिशत बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। इनमें से अधिकांश बच्चों के स्कूल न जाने का कारण घरेलू और अन्य कार्यों में माता–पिता का हाथ बटाना था। 7 प्रतिशत बच्चे अध्यापक न होने के कारण स्कूल नहीं जा रहे थे। ग्रामीण क्षेत्रों में मध्यान्न भोजन योजना बच्चों को स्कूल तक लाने में पर्याप्त सफल रही है। 35 प्रतिशत बच्चों ने बताया कि उनके स्कूल न जाने का कारण स्कूल में मध्यान्न भोजन का नियमित रूप से न मिलना है।

निष्कर्ष :

जन पैरवी मंच द्वारा किये गये सर्वे द्वारा यह बात सामने आई कि 96 प्रतिशत परिवार पूरी तरह से खेती पर निर्भर हैं, जो उनकी आजीविका का प्रमुख स्रोत है। यद्यपि इससे होने वाली आय बहुत ही कम है। इनमें 84 प्रतिशत परिवारों की जोतों का आकार बहुत छोटा होने के कारण इन परिवारों की औसत आय मात्र 43305 रुपये वार्षिक ही है। हालाँकि उत्तर प्रदेश की तुलना में बुन्देलखण्ड में जोतों का औसत आकार थोडा बडा है, लेकिन 7–8 वर्षों के लगातार सूखे ने खेती को अलाभकारी उपक्रम बना दिया है। किसानों के पास खेती के लिये बीज, और खाद जैसे जरूरी सामानों को खरीदने तक के लिये पैसे नहीं है। इसमें भी अचानक तेज बारिश ने इनकी समस्याओं को और भी दुरूह बना दिया है। 636 परिवारों में से 510 परिवारों (80) की रबी और 492 परिवारों (77) को खरीफ की फसल में खड़ी फसल पर अत्यधिक बारिश अथवा इसके परिणाम स्वरूप फसल न बो पाने के कारण नुकसान उठाना पड़ा है। इसमें भी मध्यम किसान (31), छोटे (27) तथा सीमाँत किसानों (29) को सबसे ज्यादा नुकसन उठाना पडा है। लगभग 10 प्रतिशत किसानों को 1 लाख रुपये से भी अधिक की हानि उठानी पडी। 28 प्रतिशत कृषक

परिव्बारों को 20 से 50 हजार रुपये तक का नुकसान हुआ और लगभग 46 प्रतिशत किसानों को 20 हजार रुपये तक की क्षति उठानी पडी। बुन्देलखण्ड की बदहाली और कर्जे की स्थिति को देखते हुए किसानो के लिये ये नुकसान बहुत बडा है।

इस आपदा की स्थिति में भी सरकार की प्रतिक्रिया अत्यन्त ही निराशाजनक रही है। केवल एक तिहाई परिवारों (207) को ही इस आपदा से प्रभावित माना गया। ग्रामीणों के अनुसार क्षति का आकलन भी अपूर्ण और भेदभाव भरा था। इसमें से केवल 16 प्रतिशत (98 परिवार) पीड़ितों का प्रभावित स्थल पर मुआयना किया गया। शेष 17 प्रतिशत मामलों में लेखपाल ने या तो अपनी मर्जी से (12 प्रतिशत) अथवा ग्राम सभा की बैठक में (5 प्रतिशत) स्वयं ही निर्धारण कर लिया। कुल 636 प्रभावित परिवारों में केवल 19 परिवार (3) परिवार ऐसे थे, जिन्हे किसी प्रकार की सरकारी सहायता प्राप्त हुई। इनमें से केवल 4 परिवारों (0.63) को 2000 रुपये से ज्यादा की सहायता मिली, 6 परिवारों को एक से दो हजार रुपये तथा 9 परिवारों को एक हजार रुपये से भी कम सहायता राशि उनके फसलों की हनि और जानवरों की मृत्यु के लिये दी गई।

कई वषों से निर्वाह योग्य खेती भी न हो पाने के कारण, किसानों के पास निवेश योग्य आवश्यक धनराशि का भी अभाव है। जिसके कारण 80 प्रतिशत से भी अधिक परिवार कर्ज के जाल में डूबे हैं। सर्वे के अनुसार भी 636 में से 513 (80.53) परिवारों पर सार्वजनिक अथवा निजी/पारम्परिक स्रोतो से कर्ज था। सर्वे में यह पाया गया कि छोटे कर्ज के लिये किसानो और ग्रामीण परिवारो की पसन्द कर्ज के परम्परागत स्रोत हैं, जबकि बडी रकम के लिये बैंक व अन्य संस्थागत स्रोतों को प्रमुखता दी जाती है। सर्वे में 636 परिवारों में 79 प्रतिशत परिवारों पर गैर–संस्थागत स्रोतों से औसतन गैर 50000 प्रति परिवार कर्ज पाया गया। 636 में से लगभग 40 प्रतिशत परिवारों पर औसतन 50000 रुपये प्रति परिवार संस्थागत स्रोतों से कर्ज था। कुल 636 परिवारों में से 394 (59) परिवारों पर संस्थागत स्रोतों जैसे कि बैंक, किसान क्रेडिट कार्ड, कोआपरेटिव सोसायटी आदि से औसतन 93771रुपये का कर्ज था। 268 परिवारों (40) पर औसतन प्रति परिवार 44899 रुपये का गैर–संस्थागत स्रोतों जैसे कि महाजन, साहूकार, आढतिया आदि का कर्ज था।

दुर्भाग्य यह है कि विभिन्न सामाजिक कल्याण से सबन्धित योजनाएं, जो ऐसी दशा में राहत दिला सकती हैं, उनकी हालत और भी बुरी है। सर्वे में भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बन्धित अनेक कमियों की पुष्टि हुई तथा केवल 85 प्रतिशत परिवारों के पास ही राशन कार्ड पाये गये। इसमें भी 636 में से 348 परिवारों (63) के पास गरीबी रेखा से ऊपर के कार्ड थे, तथा केवल 133 परिवारों (24) के पास बी०पी०एल० और 70 परिवारों (13) के पास अन्त्योदय कार्ड थे।

636 परिवारों में से 309 (46) परिवारों ने बताया कि उनके पास जाब कार्ड तक नहीं है। 70 प्रतिशत कार्य योग्य व्यक्तियों ने बताया कि उन्हे कभी भी मनरेगा के अन्तर्गत काम करने का मौका नहीं मिला। यही हाल अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं का भी है। जैसे कि सर्वे के अनुसार 60 प्रतिशत से भी अधिक बच्चों को समेकित बाल विकास योजना का लाभ नहीं मिल रहा था। 6 से 14 वर्ष आयु के 31 प्रतिशत बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। इनमें से अधिकांश बच्चों के स्कूल न जाने का कारण घरेलू और अन्य कार्यों में माता–पिता का हाथ बटाना था। 7 प्रतिशत बच्चे अध्यापक न होने के कारण स्कूल नहीं जा रहे थे। ग्रामीण क्षेत्रों में मध्यान्न भोजन

योजना बच्चों को स्कूल तक लाने में पर्याप्त सफल रही है। 35 प्रतिशत बच्चों ने बताया कि उनके स्कूल न जाने का कारण स्कूल में मध्यान्न भोजन का नियमित रूप से न मिलना है।

इस प्रकार सर्वे के परिणामों के आधार पर देखा जये तो कहा जा सकता है कि बुन्देलखण्ड की स्थिति दिनोंदिन बदतर होती जा रही है। सरकार ने भी गरीबों और किसानों को उनके भाग्य पर छोड़ दिया है। बार बार आने वाली आपदाओं के कारण किसानों के पास निवेश के लिये आवश्यक पूँजी भी नहीं है, जिससे वह अपने आजीविका को जारी रख सकें। इस स्थिति में सरकार द्वारा आपदाओं के समय दी जने वाली राहत संजीवनी का कार्य कर सकती है, लेकिन पूरे सरकारी अमले ने इस पर चुप्पी साध रखी है। पड़ोस के राज्य मध्यप्रदेश के बुन्देलखण्ड हिस्से में भी समान आपदा की स्थिति में ओले और बारिश के बाद मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वयं जाकर स्थिति का आकलन किया और तत्काल प्रभाव से पीड़ित परिवारों के लिये राहत राशि की घोषणा की, लेकिन दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश में सरकार से किसी भी स्तर पर ऐसी तत्परता देखने को नहीं मिली।

परिस्थिति आवश्यकताएँ:

कई वर्षों से निरन्तर खेती की विफलता बुन्देलखण्ड की पहचान बन चुका है। पिछले आठ वर्षों में मानसून 52 दिनों से सिमटकर 24 दिनों तक रह गया है। उस पर भी 2011 और 2013 के दो वर्षो में हुई अचानक बारिश ने यहाँ मानसून को और भी अनिश्चित बना दिया है। जिसकी वजह से किसान अब खेती के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना चाहते।

यद्यपि सर्वे में 36 प्रतिशत किसान परिवारों ने कहा कि स्थितियों में सुधार होने पर अब भी वो खेती करना ही पसन्द करेंगे। 40 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि अगर उनके कर्ज माफ कर दिये जायें तो वह इस स्थित में होंगे कि खेती से पुनः अपनी आजीविका प्राप्त कर सकते हैं। 22 प्रतिशत परिवार ऐसे भी थे जिन्होने कहा कि यदि सामाजिक कल्याण की योजनाओं के कार्यान्वयन को सुधारा जा सके तो उनके अनेक खर्चों में कमी आ सकती है, जिससे वह अपने गाँव में ही आजीविका को सुचारू रूप से चला सकते हैं।

यह बात निर्विवाद रूप से सही है कि बुन्देलखण्ड की वर्तमान समस्या अनेक सामाजिक–आर्थिक और प्राकृतिक कारणों का समेकित परिणाम हैं, जिन्हे एक झटके में नहीं खत्म किया जा सकता। इसके लिये छोटे–छोटे स्तरों पर अनेक और सतत कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। सर्वे के परिणामों और विभिन्न संस्थाओं के व्यवहारिक अनुभवों के आधार पर इसके लिये कई कदम सुझाये जा सकते हैं। जन पैरवी मँच इसके लिये निम्नलिखित माँगे करता है।

1. सरकार द्वारा वर्तमान आपदा से हुये नुकसान का तुरन्त आकलन किया जाये
2. नुकसान के वास्तविक आकलन होने तक तत्काल अंतरिम सहायता प्रदान की जाये।
3. सभी प्रकार के किसानों के कर्जों को तत्काल माफ किया जाये।
4. मनरेगा के अन्तर्गत, आपदा प्रभावित क्षेत्रो में रोजगार और आय के लिये तत्काल कार्य आरम्भ कराया जाये।
5. प्रभावित परिवारों को तत्काल बी०पी०एल० कार्ड प्रदान किया जाये।

6. सार्वजनिक वितरण प्रणाली, समेकित बाल विकास योजना, मध्यान्न भोजन योजना जैसे सामाजिक कल्याण योजनाओं को तुरन्त पीड़ित परिवारों तक पहुंचाया जाये।
7. पलायन करने वाले परिवारों के कौशल प्रशिक्षण द्वारा स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान किया जाये।
8. आपदा पीडित किसान परिवारों को विशिष्ट अनुदान द्वारा खेती के सामानों पर सब्सिडी प्रदान की जाये।
9. आजीविका के वैकल्पिक साधनों यथा पशुपालन, मछलीपालन, कुक्कुट पालन आदि का विकास किया जाये।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि निरन्तर आपदा और घटते प्राकृतिक जल संसाधनों की उपेक्षा ने बुन्देलखण्ड में आजीविका को बुरी तरह प्रभावित किया है। मौसम की अनिश्चितता के कारण स्थित और भी खराब होती चली जा रही है। सामाजिक आर्थिक विकास सूचकाँकों पर पहले से ही पिछडे इस क्षेत्र में सरकार द्वारा विभिन्न सामजिक कल्याण की नियमित योजनाओं की उपेक्षा कर सूखे और अन्य आपदा के लिये विशेष पैकेज घोषित किये जाते रहें हैं, जिनका लाभ वास्तविक प्रभावित लोंगों तक नहीं पहुँच पाया है। अतः इसके लिये बडे स्तर पर संगठनात्मक परिवर्तन जैसे कि कुछ कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना, छोटे और सीमान्त उद्योगों के लिये विशेष प्रोत्साहन योजना, कुटीर उद्योगों को बढावा आदि की अवश्यकता है। इसके अतिरिक्त बुन्देलखण्ड में कुल कामगारों में महिलाओ की सहभागिता तुलनात्मक रूप से अधिक है, जिन्हे कौशल विकास द्वारा और बढाया जा सकता है। यह सभी कार्यक्रम एक दीर्घकालीन योजना के भाग के रूप में अपनाये जा सकते हैं। लेकिन अभी तात्कालिक आवश्यकता आपदा पीड़ित परिवारों को तत्काल राहत दिलाकर उन्हे पलायन और आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठाने से रोकने की है।

★ ★ ★

आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की आत्महत्या को रोकने और सहायता व पुर्नवास के लिए जारी किया गया शासनादेश का सारांश

आंध्र प्रदेश सरकार ने 1 जून 2004 को किसानों की आत्महत्या को रोकने और सहायता व पुनर्वास के लिए शासनादेश जारी किया है। इस शासनादेश में किसानों की आत्महत्या के कारणों का उल्लेख करते हुये बताया गया है कि यह देश के लिये बड़ी त्रासदी है और सरकार ने आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का फैसला किया है।

आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा इसे तीन स्तरों पर लागू किया जा रहा है।

पीड़ित परिवार को वित्तीय सहायता

मृतक किसान के पारिवार जनों को 1.00 लाख आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, इसके साथ ही 50 हजार तक के कर्जे के निपटान भी सरकार द्वारा किया जायेगा।

किसानों की आत्महत्या की घटना के सत्यापन की प्रक्रिया

सरकार द्वारा आत्महत्या की घटना के सत्यापन के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें उप–कलेक्टर अध्यक्ष, पुलिस उप–अधीक्षक और सहायक कृषि निदेशक सदस्य के रूप में रखे गये हैं।

पीड़ित परिवार को पुनर्वास पैकेज

समिति द्वारा सत्यापन और कर्ज के निपटारे के बाद एक मंडल स्तरीय टीम एक वर्ष की अवधि तक परिवार के पुनर्वास उपायों को सुनिश्चित करेगी, और परिवार को उपरोक्त योजनाओं से जोड़ा जायेगा

- ❖ समाज कल्याण स्कूल और हॉस्टल में बच्चों का प्रवेश।
- ❖ आवास योजना तहत मकानों का आबंटन।
- ❖ सरकार की योजनाओं के तहत अन्य आर्थिक सहायता।

किसानों की आत्महत्या को रोकने के उपाय

सभी कलेक्ट्रेट पर किसानों के लिए हेल्पलाइन संचालित की जाये। जिससे कोई भी व्यक्ति हेल्पलाइन के द्वारा सम्भावित घटना या घटना की सूचना दे सके और जिला प्रशासन तत्काल उस परिवार के साथ संपर्क करके उचित उपायों का प्रबंध करेगा।

बुंदेलखण्ड के किसानों की आत्महत्या पर किसानों और नागरिक समाज संगठनों का उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्तुत नीति प्रारूप

1. गहराता कृषि संकट और सामाजिक सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन की असफलता बुंदेलखण्ड में किसानों को आत्महत्या करने को मजबूर कर रही है। विगत वर्शों में उत्तर प्रदेश में किसान आत्महत्या के सरकारी आंकड़े 568 (2009), 583 (2010), 519 (2011), 745 (2012), 750 (2013) (नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो) हैं, जो एक भयावह स्थिति को दर्शाते हैं।
2. आंध्र प्रदेश सरकार ने किसानों की आत्महत्या का संज्ञान लेते हुए पीड़ित परिवारों को राहत देने के लिए सरकारी आदेश संख्या 421, (1 जून 2004) को जारी किया था। आंध्र प्रदेश सरकार के शासनादेश में किसानों के आत्महत्या के कारणों, लगातार सूखा और कीट हमले जैसी प्राकृतिक आपदाओं, साल दर साल बढ़ता कर्ज का बोझ, कर्ज की जबरन वसूली, परिवार को मिल रही लगातार सामाजिक प्रताड़ना और मानसिक आघात के परिणामस्वरूप आत्महत्या करने के लिए मजबूर करता है। ये त्रासदी न केवल परिवारों के लिए एक कमाने वाले को खो देने, वरन् देश के लिये भी खाद्य पैदा करने वाले किसानों को खोने की है।
3. बुंदेलखण्ड के मामले में उपरोक्त परिस्थितियाँ कुछ विशिष्ट कारकों की वजह से और भी गम्भीर हो रही हैं।

a सबसे अधिक प्रभावित किसानों के पास 4 से 5 एकड़ जमीन की औसत जोत है। ज्यादातर छोटे और सीमांत किसानों को कर्ज के लिए भूमि को बंधक रखना पड़ता है। जहाँ कर्ज चुकाने की विफलता में जमीन उनके हाथ से निकल जाती है।

b पीड़ित किसानों की जटिल ऋणग्रस्तता, बैंकों, साहूकारों व अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिया गया कर्ज और सामाजिक प्रताड़ना बड़े पैमाने पर उन्हे पलायन करने के लिए मजबूर करती है।

c ये सभी परिस्थितियाँ खराब मानसून, अनिश्चित वर्षा आदि ने उन्हें भुखमरी की कगार पर ढकेल दिया है। इसी के साथ बैंकों, साहूकारों और भू–माफिया का तन्त्र व अपमान, निराशा और सामाजिक प्रताड़ना आत्महत्या के लिए बाध्य कर रहे हैं।

(स्रोत– बुंदेलखंड में किसानों की आत्महत्या पर अध्ययन–एक्शनएड, 2014)

प्रशासनिक असंवेदनशीलता और प्रभावी कार्यक्रमों की कमी की वजह से किसानों की त्रासदी बुंदेलखंड में लगातार जारी है और इस वर्ष सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या कर ली है। बुंदेलखंड के सभी जिले लगातार सूखा और अनियमित बारिश के कारण भुखमरी, आत्महत्या, पलायन, बंधुआ मजदूरी, महिलाओं और बच्चों की खरीद–फरोख्त की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं।

4. सरकार की प्रतिक्रिया

कृषि पर सरकार का बजट (खर्च) लगातार घट रहा है। जहाँ 1950 में कुल बजट का 25 प्रतिशत था, वही अब यह घटकर 2012 में 2 प्रतिशत रह गया है। जबकि कृषि पर निर्भर आबादी 60 से ऊपर अभी भी है। सरकार द्वारा सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए बुंदेलखंड विशेष पैकेज 2009 में घोषित किया गया था। जिसकी समय सीमा बढ़ाकर 2017 कर दी गई है। किन्तु यह पैकेज भी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रहा है। ज्ञातव्य हो कि यह पैकेज पंचायत या समुदाय की भागीदारी के बिना तैयार किया गया था। परिणामस्वरूप छोटे व सीमांत किसानों और भूमिहीन कृषि श्रमिकों की समस्याओं का कोई समाधान न हो सका।

5. सिफारिश

प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत

1. प्रत्येक परिवारा को 5 लाख रूपये अनुग्रह राशि के रूप में दिये जायें।
2. पीड़ित परिवार के बैंको व साहूकारों के ऋण का निपटारा सरकार एकबारगी करे।
3. खाद्य एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में पीड़ित परिवारों को स्वतः शामिल किये जाने का प्रावधान किया जाये तथा समयबद्ध लाभ सुनिश्चित किया जाये।
4. इसे अतिरिक्त वह विशेष तौर पर किसान दुर्घटना बीमा योजना और परिवारिक लाभ योजना के लाभार्थी के रूप में शामिल किया जाये।
5. बच्चों को छात्रवृत्ति सहित विशेष सहायता की व्यवस्था की जाये।
6. भावनात्मक एवं सामाजिक सहयोग दिया जाये।

निवारक उपाय

जयादातर मामलों में देखा गया है कि फसलों के बर्बाद होने जाने के बाद किसानों की आत्महत्या की घटनाएं सामने आती हैं। ऐसे समय में ही ज्यादा ध्यान दिये जाने और विशेष प्रयास किये जाने की जरूरत होती है, जिससे घटनाओं को रोका जा सके।

खाद्य सुरक्षा उपाय

1. सिर्फ बी0पी0एल0 परिवरों को ही नहीं, बल्कि सभी को खाद्य सहायता मिले।
2. मनरेगा को प्राथमिकता देते हुए, इसके सुचारू संचालन को सुनिश्चित किया जाये।
3. आंगनवाड़ी कार्यक्रम को और सशक्त बनाया जाये, जिससे पोशण में सुधार हो।

कर्ज और बन्धक से सम्बन्धित उपाय

1. लेन–देन और कर्ज की वसूली में शामिल बैकों और साहूकारों के दलालों व वसूलीकर्ताओं को प्रतिबन्धित किया जाये।
2. किसान क्रेडिट कार्ड के उपयोग अथवा लेन–देन में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाये और उसके दुष्परिणामों के बारे में किसानों को जागरूक किया जाये। वसूली की

प्रक्रिया को मानवीय बनाया जाये।

3. Money Lending Act 2007-08 को कड़ाई से लागू किया जाये।

फसल बीमा

1. फसलों बीमा योजना में सभी प्रकार की फसलों को शामिल किया जाये।
2. किसान क्रेडिट कार्ड के उपयोग के बारे में किसानों को पूरी जानकारी दी जाये, जिससे वह इसका सही इस्तेमाल व सदुपयोग करें।
3. बैंकों की जबाबदेही सुनिश्चित की जाये और उनके कार्यप्रणाली और व्यवहार के बारे में किसानों की राय ली जाये।

राहत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया

1. सूखे के निर्धारण की प्रक्रिया सिर्फ वर्षा आधारित न रहे, बल्कि इसमें पंचायत के माध्यम से जन–भागीदारी सुनिरूिश्चत की जाये।
2. इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता, और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाये।
3. लेखपाल का सर्वे और क्षति का निर्धारण दोनो प्रायः सही नहीं होते हैं, इसलिए आवश्यक है कि पूरे प्रकरण में जन–भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए ग्राम सभा का अनुमोदन अनिवार्य बनाया जाये।
4. सूखा राहत कार्य योजना का निमार्ण चरणबद्ध तरीके से ग्राम पंचायत स्तर से शुरू होकर तहसील व जिला स्तर पर होना चाहिए। राहत कार्यो का सामाजिक अकेंक्षण भी इसी के अनुरूप होना चाहिए।

दीर्घकालिक उपाय

1. बुंदेलखंड पैकेज और इसका क्रियान्वयन
2. अधिकतम योजनाओं का निमार्ण एवं उनका कार्यान्वयन स्थानीय स्तर पर होना चहिए।
3. स्थानीय स्तर और जिला स्तर के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए।
4. योजनाओं को बनाते समय और उसके क्रियान्वयन में भी ज्यादा से ज्यादा जन–भागीदारी / प्रभावित व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।

6. संस्थागत ढ़ाचाँ

1. ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में आपदा प्रबन्धन समिति होनी चाहिए। जिसमें गाँव के नौजवान लोगों, स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य सामाजिक समूहों को शामिल किया जाना चाहिए
2. एक चेतावनी प्रणाली के रूप में प्रत्येक पंचायत में एक रजिस्टर होना चाहिए, जिसमें आपदा की स्थतियों को अद्यतन रूप से लिखा जाना चाहिए। इसके साथ गाँव के प्रत्यके प्रभावित परिवार अथवा इससे तनाव में रह रहे परिवारों की पहचान की जानी

चाहिए। इन परिवारों की आवश्यकतानुसार तत्काल राहत के उपाय भी आपदा प्रबन्धन समिति की जिम्मेदारी होनी चाहिए।

3. राहत कार्यो में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और मुवावजा वितरण में मदद करने के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में तहसील स्तरीय समिति का गठन किया जाये। जिसमें सदस्यों के रूप में वीडीओ, एसडीपीओ, चिकित्सा अधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी नागरिक समाज सदस्य, ब्लॉक प्रमुख आदि)
4. आपदा की चेतावनी, घटित होने की संभावना या घटित होने के बाद की सुविधा के लिए हेल्पलाइन जारी की जाये।

7. प्रभावित परिवारों की पहचान और पूर्व चेतावनी के लिए प्रक्रिया

a प्रत्येक कलेक्ट्रेट पर एक हेल्पलाइन हो, और उसका लोगों के बीच में व्यापक प्रचार–प्रसार हो।

b किसी भी माध्यम से सूचना मिलने पर तहसील स्तरीय समिति स्वतः जांच का आदेश देगी, और ग्रामसभा की विशेश बैठक के लिए अधिसूचना जारी करेगी।

c ग्रामसभा की रिर्पोट के आधार पर किसानों की परेशानी और उनकी आत्महत्या का सत्यापन किया जायेगा। जो कि निम्नलिखित दिशानिर्देशों के आधार पर होगी।

- पीड़ित व्यक्ति के कर्ज की स्थिति (बैंक की रिपोर्ट)
- राजस्व विभाग के अभिलेख व वसूली आदेश आदि।
- परिवार का ब्यौरा और उसके ऊपर कर्ज तथा उसकी अदायगी के संकट की पूर्ण जानकारी।
- भूमि एवं अन्य परिसंपत्तियों/बंधक संपत्तियों का ब्यौरा।
- सामाजिक प्रताड़ना का संज्ञान स्थानीय लोगों के बयान/अनुभव पर आधारित हो। जिससे प्रभावित परिवारों की निष्पक्ष एवं संवेदनशील तरीके पहचान हो सके और उनके पुर्नवास के लिए प्रभावी कार्यक्रम लिया जा सके।

नीति प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया मे शामिल संस्थाये :

- जन पैरवी मंच
- एक्शनएड एसोसिएशन क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
- सुप्रीम कोर्ट, भोजन का अधिकार प्रकरण, आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली

सुझाव एवं टिप्पणी –

प्रकाशन : नवम्बर, 2014

बुंदेलखंड राहत पैकेज का केवल 43.89 फीसदी ही प्रयोग हुआ

है, जिसके अन्तर्गत जल संसाधनों के विकास, आजीविका बढ़ावा देने के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों के विकास के प्राव किए गए हैं। इसमें सर्वाधिक प्राथमिकता जल प्रबंधन, सिंचाई परियोजनाओं और पुरानी सिंचाई परियोजन

बुंदेलखण्ड में जारी है किसानों की बदहाली

कल्पतरु समाचार सेवा

लखनऊ। बुंदेलखण्ड में किसानों की बदहाली गंभीर समस्या बनी हुई है, इसका विकृत रूप पहले कर्ज और फिर आत्महत्या के रूप में सामने आ रहा है। बुंदेलखण्ड में इस वर्ष भी अनेक किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बुधवार को जन पैरवी मंच के तत्वावधान में प्रेस क्लब में आत्मह

आपदा निवारक मंच का बुंदेलखंड अध्ययन, 50-70 फीसदी परिवार कर रहे पलायन

'40% से ज्यादा परिवार कर्जदार'

अमर उजाला ब्यूरो

बांदा। आपदा निवारक मंच ने बुंदेलखंड के किसानों की सूखा और अतिवृष्टि से हुई बदहाली का अध्ययन करने के बाद सरकार से तत्काल सहायता देने की मांग की है। अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार 40 प्रतिशत से अधिक परिवार कर्जदार हैं। 60 फीसदी से अधिक बच्चों को समेकित बाल विकास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। रिपोर्ट

किसान यूनियन ने दी आंदोलन की चेतावनी

बबेरू/नरैनी। ब्लाक परिसर में मंगलवार को किसान यूनियन की बैठक में ब्लाक अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह पटेल ने सरकारों को कोसा। आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार कोई मदद नहीं कर रही। ज्ञापन में सभी तरह के कृषि ऋण माफ, रबी व खरीफ फसल का मुआवजा, अघोषित बिजली कटौती व अन्ना प्रथा पर रोक की मांग शामिल है। बैठक में कमल नयन सिंह पटेल, रामकरन कुशवाहा, गोरेलाल सिंह, विनय कुमार पांडेय, बलवीर सिंह, मइयादीन सिंह पटेल, हरीकृष्ण सिंह, रामकरन, छितानी प्रसाद, धनराज सिंह, राज कुमार पटेल आदि मौजूद रहे। उधर, नरैनी में तहसील अध्यक्ष महेश्वरी प्रसाद दीक्षित, अवध नरेश, नत्थू प्रसाद, बलदेव, योगेंद्र कुमार, मुन्नाबाबू, चंद्र कुमार सिंह, भारतलाल के नेतृत्व में किसानों ने धरना प्रदर्शन के बाद बीडीओ को ज्ञापन दिया। नलकूपों के बिजली बिल माफ करने, किसानों को सस्ती दर पर डीजल समेत 10 सूत्री मांगपत्र बीडीओ को सौंपा। ब्यूरो

राजस्व गांव बनाने को धरना प्रदर्शन

बबेरू। राजस्व गांव बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले गौरीखानपुर गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने तहसील परिसर में धरना-प्रदर्शन किया। बाद में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौं

आत्महत्या को मजबूर हैं किसान

लखनऊ। बुंदेलखण्ड के किसान

बुंदेलखंड के किसानों पर 3420 करोड़ के कर्ज का बोझ

बांदा | हिन्दुस्तान संवाद

आपदा निवारण मंच ने किसानों की सूखा एवं प्रभावित स्थितियों का देखा कि किसानों की बदतर होती जा रही है। आपदा के चलते किसा कर्ज, आत्महत्या व पल मजबूर हो रहा है। अध्य कहा गया है कि बुंदेलख पर 3420 करोड़ का क मंगलवार को अतर्रा रेस्टोरेंट में बुंदेलखंड क परिस्थिति पर मीडिया सं में एक्शन एड के कार्यक्र

कर्ज से परेशान एक और किसान ने फांसी लगाई

अमर उजाला ब्यूरो

बैंक और साहूकारों का था पांच लाख रुपये का कर्ज

3/545, IInd Floor, Sai Plaza Building, Vivek Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
Telephone: (0522) 4113494, 4113495, 4113499